राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2017 जयपुर, दिनांक : 31.07.2018

<u>आदेश</u>

श्री प्रकाश चन्द, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषानुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **वरिष्ठ वेतन श्रृंखला** की निम्नांकित वर्ष की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

वर्ष 2017–18:–

आदेश दिनांक 11.05.2018 के द्वारा श्री प्रकाश चन्द, आरपीएस के विरूद्व महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 3038 दिनांक 30.11.2017 द्वारा नियम 17 सीसीए के आरोप पत्र जारी किये जाने के कारण सीनियर स्केल में वर्ष 2017–18 में इनकी पदोन्नति अभिशंषा इनके लिये एक पद सुरक्षित रखते हुए सील्ड कवर में की गई थी।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा श्री प्रकाश चन्द, आरपीएस को उक्त विभागीय जांच में एक वार्षिक वेतन वृद्वि बिना भविष्य प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इनका नाम वर्ष 2017–18 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017–18 की उक्त रिक्ति दिनांक 01.02.2018 के विरूद्व श्रीमती जया (एससी) को पदोन्नति प्रदान की जाती है। श्रीमती जया की वरिष्ठता श्री किशोरी लाल (एससी) के नाम के नीचे तथा श्रीमती सीमा भारती (एसटी) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है, परन्तु वास्तविक लाभ इनके सीनियर स्केल में कार्यग्रहण करने की दिनांक से हागा।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगें।

आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 गृहमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव कार्मिक विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज0 जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

3/7/18

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

D: SO DPC 2017-18 Promotion Order

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2017 जयपुर, दिनांक : 31.07.2018

आदेश

श्री गोविन्द देथा, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषानुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपरटाईम स्केल** की निम्नांकित वर्ष की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

वर्ष 2017–18:–

श्री गोविन्द देथा को सलेक्शन स्केल में वर्ष 2014–15 में पदोन्नति देने के प्रभावस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण श्री गोविन्द देथा को वर्ष 2017–18 की सुपरटाईम स्केल में उपलब्ध रिक्ति दिनांक 01.04.2017 के विरूद्व पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री कैलाशदान रत्नू के नाम के नीचे एवं श्री महेश मीणा के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है, परन्तु वास्तविक लाभ सुपरटाईम स्केल में कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगें।

आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 गृहमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव कार्मिक विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज0 जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

31/7/18
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

D:\ SO\DPC 2017-18\Promotion Order

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2017 जयपुर, दिनांक : 31.07.2018

<u>आदेश</u>

श्री गोविन्द देथा, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषानुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **<u>चयन वेतन श्रृंखला</u>** की निम्नांकित वर्षों की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

<u>वर्ष 2013–14:–</u>

सलेक्शन स्केल की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 13.08.2013 के समय श्री गोविन्द देथा की पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई थी। उक्त विभागीय जांच में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.04.2018 के द्वारा श्री देथा को एक वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री देथा का नाम वर्ष 2013–14 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है। वर्ष 2013–14 में श्री देथा का नाम चयन सूची से विलोपित होने के कारण श्री कैलाशदान रत्नू को उक्त रिक्ति के विरूद्व पदोन्नत किया जाता है। श्री कैलाशदान की वरिष्ठता श्री रघुवीर प्रसाद सैनी के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

<u>वर्ष 2014–15:–</u>

वर्ष 2014–15 से श्री कैलाशदान रत्नू, (सामान्य) का नाम विलोपित किया जाने के फलस्वरूप श्री गोविन्द देथा का चयन सलेक्शन स्केल में रिक्ति दिनांक 01.04.2014 के विरूद्व किया जाता है। श्री गोविन्द देथा की वरिष्ठता श्री महेश मीणा के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगें।

आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 गृहमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव कार्मिक विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज0 जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

3/7/18
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2017 जयपुर, दिनांक : 31.07.2018

आदेश

श्री पूनाराम डूडी, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषानुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **चयन वेतन** श्रृंखला की निम्नांकित वर्ष की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

वर्ष 2017–18:–

राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2017–18 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.01.2018 के समय श्री पूनाराम डूडी, आरपीएस के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 22.06.2017 के द्वारा 17 सीसीए मे आरोप पत्र जारी किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा बन्द लिफाफे (सील्ड कवर) में रखी गई थी।

कार्मिक विभाग ने उक्त विभागीय जांच में श्री पूनाराम डूडी को एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसके प्रभावस्वरूप श्री डूडी वर्ष 2017–18 में पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होने से इनका नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है तथा उक्त रिक्ति दिनांक 01.01.2018 के विरूद्व श्री अताउर्रहमान को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री बाबूलाल विश्नोई, (सामान्य) के नाम नीचे निर्धारित होगी, परन्तु वास्तविक लाभ इनके चयन वेतन श्रृखंला में कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

यह पदौन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगें।

आज्ञा से,

ह०

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 गृहमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव कार्मिक विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज0 जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रांवली।

31/7/18

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

D:\ SO\DPC 2017-18\Promotion Order